तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जिस पर इनिशियल किया जाए	दें जाएं
3.1.18	पत्रावली पेश। वकील प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC पर बहस सुनी। वकील परिवादी की बहस सुनी गई। पत्रावली आज इस प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC के आदेश हेतु दिनांक 17.1.18 को पेश हो।	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
17.1.18	पत्रावली पेश। वकील परिवादी उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 व 2 श्री भंवर के द्वारा प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC प्रस्तुत किया जिस पर 151 CPC के तहत विस्तृत आदेश अलग से लिखवाया जाना आवश्यक समझा गया। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC खारिज किया जाता है क्योंकि वाद का कारण 88, 188 RTA 1955 के अन्तर्गत गठित विशेष अधिकरण में होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से लिखवाया जाकर बराबर सुनाया जावे।	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा